

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोव जिला - सीकर

सुखाराम बनाम गोपाराम आदि  
 किस्म मुकदमा ..... दोवा ..... पु.नं. 10 वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा-पत्र
08 $\frac{10}{25}$	पत्रावली पेश हुई   बहील वादीगण उप. पत्रावली वास्ते जवाब दि. 10 $\frac{11}{25}$ को पेश हो।
10 $\frac{11}{25}$	पत्रावली पेश हुई   बहील वादीगण उप. पत्रावली वास्ते जवाब दि. 26 $\frac{11}{25}$ को पेश हो।
26 $\frac{11}{25}$	पत्रावली पेश हुई   बहील वादी व वादी स्वयं अनुपस्थित   बहील वादी व वादी स्वयं को बार-बार आनाम लंगवाई गई   इन्हें के बावजूद न्यायालय समय में लायकाल तक भी बहील वादी व वादी स्वयं में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी हद पर अदम्य पंरवी   अदम्य हानि में खारिज किया जाने के आदेशादिसे आते हैं। पत्रावली फौलत शुमार होऊ वर तकमील हाजिल फफ्त हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 धोव जिला-सीकर

